

प्रेस नोट दिनांक 09.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, क्रिमिनल केश नं0 4492/2020 धारा 59 (1)/52 (1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त रूपेश कुमार पुत्र परमेश्वर प्रसाद निवासी दीवानगंज, कल्यानपुर कला थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रूपेश कुमार पुत्र परमेश्वर प्रसाद निवासी दीवानगंज, कल्यानपुर कला थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना लालगंज के उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 संजय कुमार, का0 संतोष यादव, का0 राहुल सोलंकी द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, केस न0 3913/2015 अ0सं0 81/99 धारा 379 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त गुलाम मोहम्मद पुत्र कुल्ला उर्फ अब्बास निवासी ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना लालगंज के उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, रि0का0 सच्चिदानन्द द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 1488/10 अ0सं0 242/2000 धारा 147,429,435 भादवि थाना लालगंज प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त राजकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. गुलाम मोहम्मद पुत्र कुल्ला उर्फ अब्बास निवासी ग्राम सलेम भदारी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
2. राजकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम पुरवारा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र 48 वर्ष ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 मिथिलेश चौरसिया मय हमराह का0 संजय कुमार, का0 संतोष यादव, का0 राहुल सोलंकी,
उ0नि0 भुवाल सिंह यादव मय हमराह का0 आशीष गुप्ता, रि0का0 सच्चिदानन्द थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस को मिली सफलता: फर्जी बैनामा निष्पादित कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त उमेश सरोज को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दीवानी रोड़ कस्बा लालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया-

वादिनी ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से कूटरचना एवं षड्यंत्र कर, किसी अन्य महिला को वादिनी के स्थान पर प्रस्तुत करते हुए फर्जी अंगूठा निशान एवं कूटरचित अभिलेखों के आधार पर उसकी क्रयशुदा भूमि का जाली बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय लालगंज से निष्पादित करा लिया। वादिनी का कहना है कि उक्त बैनामे पर अंकित फोटो एवं अंगूठा निशान उसके नहीं हैं तथा अभियुक्तगण उक्त फर्जी बैनामे के आधार पर भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर वादिनी को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 09/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340,352,351(3) बीएनएस बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के व0उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 राहुल यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 09/2026 धारा 318(4),319(2),338,336(3),340,352,351(3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त उमेश सरोज पुत्र स्व0 गुलाबचन्द सरोज उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम गोपालपुर मालाघर छत्ता थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत दीवानी रोड़ कस्बा लालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- उमेश सरोज पुत्र स्व0 गुलाबचन्द सरोज उम्र करीब 28 वर्ष नि0 ग्राम गोपालपुर मालाघर छत्ता थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण- व0उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह का0 राहुल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना लीलापुर के उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय उ0नि0 एजाज खान मय हमराह रि0का0 अरुण कुमार दिखाकर मय चालक का0 सुजीत यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, धारा 12(31) घरेलू हिंसा अधिनियम थाना महिला थाना प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त संदीप वर्मा पुत्र स्व0 रामकुपाल वर्मा नि0ग्रा0 बरदैत थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- संदीप वर्मा पुत्र स्व0 रामकुपाल वर्मा नि0ग्रा0 बरदैत थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

पुलिस टीम -उ0नि0 प्रशान्त कुमार मय उ0नि0 एजाज खान मय हमराह रि0का0 अरुण कुमार दिखाकर मय चालक का0 सुजीत यादव थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कंधई पुलिस द्वारा जमीनी विवाद में हुई मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति की मृत्यु के प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त एवं 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

अभियुक्तों को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ढेलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्तल 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद कुदाल, 01 अदद फावड़ा का बेंत, बरामद किया गया व 01 अदद ई रिक्शा को सीज किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कंधई क्षेत्र में भूमि बंटवारे के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई। विपक्षीगण द्वारा वादी के परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घायलों का उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 152/2026, धारा 115(2), 352, 131, 333, 109(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इलाज के दौरान वादी के घायल पुत्र की मृत्यु हो गई थी।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे का0 राजेंद्र प्रसाद, का0 राहुल कुमार, रि0म0का0 श्रेया सिंह, रि0म0का0 अनीशा सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत

मु0अ0सं0 152/2026 धारा 115 (2)/352/333/131/109 (1)/61 (2) भा0न्या0सं0 , थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1. सोनू उर्फ सूबेदार वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 30 वर्ष 2. रोहित वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 24 वर्ष, अभियुक्त 3. हीरावती पत्नी स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 58 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कोनी, थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ढेलहा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद कुदाल, 01 अदद फावड़ा का बेंत बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण ने बताया कि दिनांक 08.07.2026 को भूमि विवाद को लेकर उन्होंने पृथ्वीपाल पटेल के परिवार के साथ मारपीट की थी तथा कुल्हाड़ी, कुदाल एवं डंडे से हमला किया था। अभियुक्तों ने बताया कि घटना के बाद मुकदमे से बचने के लिए वे लुक-छिपकर भाग रहे थे। तलाशी के दौरान उनकी बिना नंबर प्लेट ई-रिक्शा से घटना में प्रयुक्त 01 कुल्हाड़ी, 01 कुदाल एवं फावड़े का बेंत बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि बरामद हथियारों का प्रयोग उन्होंने उक्त घटना में किया था। ई रिक्शा को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

1. सोनू उर्फ सूबेदार वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 30 वर्ष
2. रोहित वर्मा पुत्र स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 24 वर्ष,
3. हीरावती पत्नी स्वर्गीय राम अचल वर्मा, उम्र 58 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कोनी, थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे का0 राजेंद्र प्रसाद, का0 राहुल कुमार, रि0म0का0 श्रेया सिंह, रि0म0का0 अनीशा सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 08 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना उदयपुर के उ0नि0 घनश्याय यादव मय हमराह हे0का0 विनोद कुमार, का0 शत्रुघ्न यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0सं0 212/2011 धारा 323/504/506 भादवि व 3 (1)x एस.सी.एस.टी.एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त 01. पवन कुमार सिंह पुत्र शिवदर्शन सिंह निवासी ग्राम पूरे सिरोही मजरे मंगापूर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ व फौजदारी वाद संख्या 2159/2012 राज्य बनाम कमलेश एन.सी.आर. नम्बर 68/2009 धारा 323/504 भादवि थाना उदयपुर

जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त 02. कमलेश चौरसिया पुत्र रामनरेश चौरसिया निवासी ग्राम पूरे बसन्दर मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर के उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 शत्रुघ्न यादव व रि0का0 उपेन्द्र कन्नौजिया द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, परिवाद संख्या 894/23 बमुकदमा जीतलाल बनाम लल्लन सिंह आदि धारा 323/504/506/452/427 भादवि से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. भारत सिंह पुत्र रामनाथ सिंह उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम जोगापुर नोनार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ 02. लल्लन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम जोगापुर नोनार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह रि0का0 प्रिन्स खरवार, रि0का0 अखिलेश कुमार पाण्डेय व रि0का0 आशुतोष कुमार यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, फौजदारी वाद संख्या 864/23 राज्य बनाम करूण विश्वकर्मा मा० न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय लालगंज अ.सं.235/22 धारा 323/504/506 भावि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 01. अखिलेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र सदाशिव विश्वकर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बीरगढ़ पूरे भगवत थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ 02. रामू उर्फ दिलीप विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बीरगढ़ पूरे भगवत थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को ग्राम बीरगढ़ के अगवान वीर बाबा स्थान के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना उदयपुर के उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का0 अनिल कुमार, रि0का0 अनिल कुमार सिंह व रि0का0 संदीप कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, फौजदारी वाद संख्या 1182/22 राज्य बनाम जितेन्द्र सिंह अ0सं0 248/21 धारा 60 आबकारी अधि० थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ व फौजदारी वाद संख्या 632/21 राज्य बनाम अनुज सिंह आदि अ0सं0 88/20 धारा 379/34 भादवि थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारण्टी अभियुक्तों, 1. जितेन्द्र सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम पूरे शिववंश खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 2. सुबेदार सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी ग्राम बड़ा का पुरवा खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पवन कुमार सिंह पुत्र शिवदर्शन सिंह निवासी ग्राम पूरे सिरोही मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
2. कमलेश चौरसिया पुत्र रामनरेश चौरसिया निवासी ग्राम पूरे बसन्दर मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
3. भारत सिंह पुत्र रामनाथ सिंह उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम जोगापुर नोनार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
4. लल्लन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम जोगापुर नोनार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
5. अखिलेश कुमार विश्वकर्मा पुत्र सदाशिव विश्वकर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम बीरगढ़ पूरे भगवत थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

6. रामू उर्फ दिलीप विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम बीरगढ़ पूरे भगवत थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ ।
7. जितेन्द्र सिंह पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी ग्राम पूरे शिववंश खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 30 वर्ष ।
8. सुबेदार सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी ग्राम बडा का पुरवा खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम करीब 26 वर्ष ।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना फतनपुर के उ0नि0 रामबली चौहान मय हस्बुल तलब का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल रि0 का विशाल पाल रि0 का0 पृथ्वी सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 358/2019 अभियुक्त सम्बन्धित अ.स. 71/2019 धारा 3(1) (r), sc/st act थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02 वारंटी अभियुक्तों, 01. रामकैलाश पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र करीब 38 वर्ष, 02. पंकज पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी गण ग्राम कलीमुरादपुर थाना फतनपुर प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामकैलाश पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र करीब 38 वर्ष,
02. पंकज पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी गण ग्राम कलीमुरादपुर थाना फतनपुर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -

उ0नि0 रामबली चौहान मय हस्बुल तलब का0 सुनील यादव, का0 ओमप्रकाश पाल रि0 का0 विशाल पाल रि0 का0 पृथ्वी सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना पट्टी के उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह रि0 का0 गोलू द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ0सं0 74/22 धारा 323/308/336/504/506 भादवि थाना पट्टी जनपद

प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मगरू गौतम उम्र करीब 45वर्ष नि0 सरसतपुरथाना पट्टी प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मनोज कुमार पुत्र मगरू गौतम उम्र करीब 45वर्ष नि0 सरसतपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम - उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह रि0का0 गोलू थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना पट्टी पर पंजीकृत दुष्कर्म, अपहरण व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त अमन सिंह को थाना पट्टी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा ईंट भट्टा मार्ग धनगढ़ छिवलहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना पट्टी प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 अभिषेक गौतम, रि0का0 राहुल कुमार, रि0म0का0 अंशिका जायसवाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(1)/137(2)/87 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त अमन सिंह पुत्र बीरेन्द्र सिंह नि0 कुशा थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कृष्णा ईंट भट्टा मार्ग धनगढ़ छिवलहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमन सिंह पुत्र बीरेन्द्र सिंह नि0 कुशा थाना बरसठी जनपद जौनपुर उम्र करीब 21 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 अभिषेक गौतम, रि0का0 राहुल कुमार, रि0म0का0 अंशिका जायसवाल थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना पट्टी के उ०नि० विजय कुमार यादव मय हमराह रि०का० गोलू द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, अ०सं० 74/22 धारा 323/308/336/504/506 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र मगरू गौतम उम्र करीब 45वर्ष नि० सरसतपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मनोज कुमार पुत्र मगरू गौतम उम्र करीब 45वर्ष नि० सरसतपुर थाना पट्टी प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम -

उ०नि० विजय कुमार यादव मय हमराह रि०का० गोलू थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।